न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः डॉ.सूरज सिंह नेगी, आर.ए.एस.)

दावा सं0 — 51/2012

प्रविष्टि दिनांक — 9.5.2012

1. मन्नी बेवा पोखर जाति बैरवा निवासी मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक

—वादिया

बनाम

1. जमना पुत्री घासी पत्नी श्योजीलाल बैरवा निवासी ग्राम अरनियाकेदार तहसील व जिला टोंक
2. तहसीलदार टोंक
3. उप पंजीयक टोंक
4. रमेश पुत्र गंगासहाय कोली निवासी बहरोड हाल निवासी फिरदोसनगर मोहल्ला रजबन टोंक

उपस्थित—श्री जे0के0 जैन — वकील वादिया
श्री कैलाश अहलूवालिया—अभिभाषक प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक—5/9/17

अधिवक्ता वादिया द्वारा वाद बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार भूमि ख.न. 146 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम अहमदनगर उर्फ हसनपुरा पटवार मण्डल लाम्बा तहसील व जिला टोंक मे स्थित है जिसमे राजस्व रिकार्ड मे वादिया का 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिवादिया सं0 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज है। ख.न. 147 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा मे वादिया का 1/2 व प्रतिवादिया सं0 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। ख.न. 116 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा मे वादिया का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 का 1/8 हिस्सा है। वादिया एवं प्रतिवादिया सं0 1 का शजरा निम्न प्रकार हे।

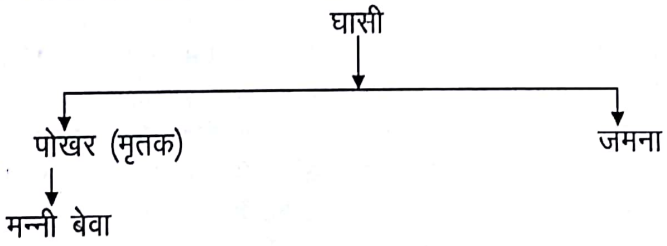

घासी का स्वर्गवास 25 साल पहले ही हो चुका है। घासी व पोखर के जीवनकाल मे ही उक्त भूमि का मौखिक बंटवारा हो गया था और जमना को उसके पिता ने शादी मे उक्त भूमि के एवज मे सोने चांदी के जेवंर व अन्य सामान दे दिये था। इस प्रकार उक्त आराजी पर वादिया ही काबिज चली आ रही है जिसमे प्रतिवादिया ने कभी मजाहमत नही की तथा अपना हक छोडने बाबत एक इकरारनामा दिनांक 2.7.2008 को रूबरू गवाहन तहरीर करवाया था। इस प्रकार उक्त आराजी मे प्रतिवादिया सं0 1 का कोई हक व हिस्सा नही है। उक्त आराजी पर वादिया का 12 वर्षो से भी अधिक समय से तन्हा कब्जा चला आ रही है। अतः वादिया उक्त आराजी की खातेदार काश्तकार हो गई है। अतः ग्राम अहमदनगर उर्फ हसनपुरा पटवार

अधिकारी (राज.)

Scanned by CamScanner

मण्डल लाम्बा तहसील व जिला टोंक के ख.न. 146 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा में प्रतिवादिया सं0 1 का 1/4 हिस्सा , ख.न. 147 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा मे प्रतिवादिया सं0 1 का 1/2 हिस्सा तथा ख.न. 116 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा मे प्रतिवादी सं0 1 का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे वादिया के नाम खातेदारी मे अंकित किया जावे और राजस्व रिकार्ड मे अमल किया जावे। प्रतिवादिया को हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जावे कि वह उक्त आराजी मे अपना हिस्सा हस्तान्तरण नही करे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादिया सं0 1 की ओर से बावजूद तामील के कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

वादी की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत ऑर्डर 1 रूल 10 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ख.न. 146, 147, 116 ग्राम अहमदनगर उर्फ हसनपुरा मे से प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 8.5.2012 को जमाबंदी मे नुमाईशी रूप से अंकित अपना हिस्सा रमेश पुत्र गंगासहाय कोली को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया। परन्तु उक्त भूमि पर वर्षो से वादिया का कब्जा चला आ रहा है। अतः भूमि का बेचान होने के कारण क्रेता को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।

उक्त प्रार्थनापत्र के जवाब मे अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 ने अंकित किया कि प्रार्थिया ने उक्त प्रार्थनापत्र वाद मे देरी करने के उदेश्य से प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया ने गलत अंकित किया है कि उत्तरदाता का हिस्सा नुमाईशी है। क्रेता ने पंजीकृत विक्रय पत्र से भूमि को क्रय किया है। जबकि उक्त विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त नही करवा लिया जाता तब तक कोई अनुतोष देय नही है। प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गई जिसका पृथक से विवेचन नही किया जा रहा है। प्रकरण का निष्पक्षता पूर्वक व सभी पक्षकारो का सुनवाई या अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिये जाने हेतु न्याय हित को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर, क्रेता को पक्षकारा बनाया जाता है।

अधिवक्ता वादिया ने मन्नी देवी पत्नी पोखर बैरवा पी.डब्ल्यू –1, राजूलाल पुत्र छीतर नाथ, पी.डब्ल्यू–2, एवं कैलाश चन्द मीणा पु लादूलाल मीणा पी.डब्ल्यू –3 के बयान करवाये गये जो शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता वादिया की ओर से साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबदी संवत 2066–69 खसरा गिरदावरी , इकरारनामा आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रकरण मे बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादिया ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया।

हमने वाद पत्र एवं साक्ष्यो का अवलोकन किया एवं विद्ववान अभिभाषक वादिया की बहस पर मनन किया। प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद तामील के जवाब प्रस्तुत नही करना वाद पत्र के तथ्यो की स्वीकारोक्ति को दर्शाता है। वादिया द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित किया है कि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रतिवादिया सं0 1 उक्त भूमि की रिकार्डेड खातेदार है। उक्त भूमि का पूर्व खातेदार घासी की थी जिसका मौखिक बंटवारा हो गया है तथा इकरारनामा दिनांक 2.7.2008 को रूबरू गवाहान तहरीर करवाया था, लेकिन उक्त इकरारनामा रजिस्टर्ड नही है। इस कारण उक्त इकरारनामे को खातेदारी अंतरण हेतु ग्राह दस्तावेज नही माना जा सकता है। वादिया ने अपने वाद पत्र मे यह भी अंकित किया है कि वादिया का 12 वर्षो से भी अधिक समय से तन्हा कब्जा चला आ रही है लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध गिरदावरी मे प्रतिवादिया सं0 1 का भी नाम अंकित है। चूंकि उक्त विवादित भूमि की प्रतिवादिया सं0 1 रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है तथा पूर्व खातेदार घासी की विधिक वारिसान होने के कारण राजस्व रिकार्ड मे नाम अंकित है साथ ही रिकार्डेड खातेदार द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान किये जाने से जिसका प्रतिवादिया सं0 1 को अधिकार था, प्रतिवादी सं0 4 क्रेता भी बोनाफाईड परचेजर है। इस प्रकार मात्र साधारण इकरारनामे से खातेदारी अधिकारो का हस्तान्तरण नही किया जा सकता है। अतः किसी भी दस्तावेज से वादिया के पत्र मे अंकित तथ्य खातेदारी घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज साबित नही होते है। हां चूंकि पक्षकार उक्त विवादित भूमि में रिकाडेर्ड सहखातेदार काश्तकार है और वर्तमान मे उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अतः भविष्य मे विवादो की संभावनाओं को कम करने की दृष्टिगत रखते हुए अपनी अपनी

Scanned by CamScanner

खातेदारी की हद तक पाबन्द किया जाना उचित होगा। अतः वाद पत्र आंशिक रूप से स्थाई निषेधाज्ञा की हद तक स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वाद वादिया बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत ख.न. 146 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, ख.न. 147 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा ख.न. 116 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा ग्राम अहमदनगर उर्फ हसनपुरा, तहसील टोंक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की भूमि मे किसी प्रकार से बेजा मजाहमत नही करे।

निर्णय आज **दिनांक** 5.09.17..... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ.सूरज सिंह नेगी)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक (राज0)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

मुकाम टोंक व अलजाम डॉ. सूरज सिंह नेगी, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित

प्रकरण सं0–51/2012

उनवान

मन्नी बेवा पोखर जाति बैरवा निवासी मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक

–वादिया

बनाम

1. जमना पुत्री घासी पत्नी श्योज़ीलाल बैरवा निवासी ग्राम अरनियाकेदार तहसील व जिला टोंक
2. तहसीलदार टोंक
3. उप पंजीयक टोंक
4. रमेश पुत्र गंगासहाय कोली निवासी बहरोड हाल निवासी फिरदोसनगर मोहल्ला रजवन टोंक

उपस्थित–श्री जे0के0 जैन – वकील वादिया
श्री कैलाश अहलूवालिया–अभिभाषक प्रतिवादीगण

दादा बाबत उदघोषणा , दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी जारी जाती है कि वाद वादिया बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत ख.न. 146 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, ख.न. 147 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा ख.न. 116 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा ग्राम अहमदनगर उर्फ हसनपुरा, तहसील टोंक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त विवादित भूमि का किसी भी प्रकार से अन्य को हस्तान्तरण नही करे। पाबन्द रहे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 4/9/17 को जारी किया गया।

(डॉ.सूरजसिंह नेगी)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीज़ान			मिज़ान		

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner